

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2014—भाद्र 7, शक 1936

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र.-383-श.वि.-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 1-5-2013-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014 के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5-क(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नगर परिषद, लाँजी, जिला बालाघाट की सीमा से निम्न विवरण अनुसार चार ग्राम पंचायतों को जो नगर परिषद, लाँजी की सीमा से लगे हुए हैं, उन्हें विलोपित / अपवर्जित करने का अभिप्राय प्रकट करता है.

अनुसूची में दर्शित सम्मिलित ग्राम पंचायत व सम्मिलित ग्रामों, क्षेत्रों में अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या उसमें निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है, तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव कलेक्टर, जिला बालाघाट को प्रस्तुत कर सकता है. जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :-

### अनुसूची-1

क्रमांक (1)	विलोपित / अपवर्जित ग्राम पंचायतों का नाम (2)	तहसील (3)
1	ग्राम पंचायत, बिसोनी का सम्पूर्ण क्षेत्र	लाँजी
2	ग्राम पंचायत, पूर्वाटोला का सम्पूर्ण क्षेत्र	लाँजी
3	ग्राम पंचायत, टेकरी का सम्पूर्ण क्षेत्र	लाँजी
4	ग्राम पंचायत, दुलापुर का सम्पूर्ण क्षेत्र	लाँजी

## अनुसूची-2

अनुसूची 1 में दर्शित ग्राम पंचायतों के विलोपन के पश्चात् नगर परिषद्, लाँजी की सीमा निम्नानुसार होगी :—

1. उत्तर—ग्राम दुलापुर एवं वन विभाग जंगल एवं ग्राम पौसेरा
2. दक्षिण—ग्राम थानेगांव एवं ग्राम कालीमाटी
3. पूर्व—ग्राम जुनेवानी एवं ग्राम पूर्वाटोला
4. पश्चिम—ग्राम दुलापुर एवं ग्राम बिसोनी.

व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर.

Balaghat, the 13th August 2014

No. 383-DUDA-2014.—In exercise of the power confirmed by letter F1-5-2013-XVIII-3 Bhopal (11<sup>th</sup> July 2014) of Madhya Pradesh Urban Administration and Development Department, Ministry Bhopal, Madhya Pradesh under Municipal Act, 1961, Section 5A(1) The State Government here by notifies its intention to Exclude the local area which are shown in the Schedule below within the limit of the Nagar Parishad Lanji, Dist. Balaghat.

The local authority having jurisdiction in the said area or person resident therein may submit his objection or suggestion in writing to the Collector, Balaghat within 30 days from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and State Government may take such objection into consideration :—

## SCHEDULE-1

No. (1)	Name of Excluded Gram Panchayat (2)	Tehsil (3)
1	Total area of Gram Panchayat, Bisoni	Lanji
2	Total area of Gram Panchayat, Purvatola	Lanji
3	Total area of Gram Panchayat, Tekri	Lanji
4	Total area of Gram Panchayat, Dulapur	Lanji

## SCHEDULE-2

New Area of Nagar Parishad Lanji after excluding Gram Panchayat mentioned in Schedule-1 will be :—

1. **The North**—Village Dulapur and forest & village Pousera
2. **The South**—Village Thanegaon & village Kalimati
3. **The East**—Village Junewani & village Purvatola
4. **The West**—Village Dulapur & village Bisoni.

V. KIRAN GOPAL, Collector.